16 5/18

पत्रावली पेश हुई। पक्षकार [illegible] श्रीमतीगण उपस्थित। [illegible] कार्य में व्यस्त है/ [illegible] आदेशानुसार दिनांक 12/6/18 को पेश हो।

12/6/18 पत्रावली आज राजस्व [illegible] अदालत न्याय आपके समक्ष 2018 के प्रथम दावा में पेश हुई। पत्रावली में वादी/प्रार्थी नेमीचंद ने पत्रावली पर अंकित किया कि वादी अपना दावा आगे नहीं चलाना चाहते हैं अतः वादी का वाद खारिज किया जाकर वादी के सुझाव पत्रावली का अवलोकन किया। मय वादी के रिकॉर्ड पर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद [illegible] पत्रावली

मैं अपना दावा आगे नहीं चलाना चाहता अतः खारिज किया जावे नेमीचन्द

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

Web Copy Not Official